



बिहार सरकार  
कृषि विभाग

किसान भाइयों एवं बहनों के लिए आवश्यक सूचना

कृषि इनपुट अनुदान योजना के  
तहत आवेदन का अवसर



06 अक्टूबर,  
2024  
से आवेदन  
प्रारम्भ

सितम्बर, 2024 में हुई वर्षापात से गंगा तथा अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि के फलस्वरूप बाढ़ से क्षतिग्रस्त खरीफ फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ किसानों के बैंक खाते में।

- बाढ़ से प्रभावित पंचायतों के वैसे किसान/किसान परिवार, जिनकी फसल का नुकसान हुआ है, वे ऑन-लाईन आवेदन कर कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं।
- बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए निम्नांकित दर से कृषि इनपुट अनुदान देय होगा :-
  - ❖ वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर।
  - ❖ सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर।
  - ❖ शाश्वत/बहुवर्षीय फसल के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर।
- यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा।
- कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत एवं गैर रैयत किसान को देय है।

कृषि विभाग, बिहार के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/krishti/CitizenHome.html> पर दिये गये लिंक DBT in Agriculture पर या <https://dbtagriculture.bihar.gov.in/> पर आवेदन करने के लिए 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का उपयोग कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रखण्डों एवं पंचायतों की सूची डी०बी०टी० पोर्टल पर उपलब्ध है।

नोट:- अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेन्टर के  
टॉल फ्री नं० 18001801551 पर या संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी  
से सम्पर्क कर सकते हैं।